"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2017—वैशाख 22, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मूलचंद गढ़पाण्डे पिता स्व. श्री सावज्या गढ़पाण्डे, उम्र 58 वर्ष, निवासी-59/बी, जी.- पॉकेट, मरोदा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं पेन कार्ड में मेरा नाम सरनेम सहित मूलचंद "गढ़पाण्डे" अंकित है जो कि सही व सत्य है किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मूलचंद अंकित है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम गढ़पाण्डे जोड़कर नया नाम/उपनाम मूलचंद गढ़पाण्डे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मूलचंद गढ़पाण्डे पिता स्व. सावज्या गढ़पाण्डे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मूलचंद
पिता सावज्या
निवासी-क्वा.नं. 59/बी, जी.- पॉकेट,
मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिनकोड 490006
मोबाइल नम्बर 8770362134

नया नाम

मूलचंद गढ़पाण्डे
पिता सावज्या गढ़पाण्डे
निवासी-क्वा.नं. 59/बी, जी.- पॉकेट,
मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिनकोड 490006
मोबाइल नम्बर 8770362134

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पवन कुमार देशमुख पिता स्व. डी. एस. देशमुख, निवासी-प्लाट नं. 555/20, कचहरी वार्ड नं. 39, विजय नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम पवन कुमार लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ कुल नाम "देशमुख" जोड़कर नया नाम/उपनाम पवन कुमार देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे पवन कुमार देशमुख पिता स्व. डी. एस. देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पवन कुमार
पिता स्व. डी. एस. देशमुख
निवासी--प्लाट नं. 555/20,
कचहरी वार्ड नं. 39, विजय नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पवन कुमार देशमुख
पिता स्व. डी. एस. देशमुख
निवासी--प्लाट नं. 555/20,
कचहरी वार्ड नं. 39, विजय नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रामदुलारी देवी मौर्या ध. प. जगतनारायण मौर्या, उम्र 60 वर्ष, निवासी-52/11, नेहरू नगर, पूर्व, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व मैं श्रीमती दुलारी देवी ध. प. जगतनारायण मौर्या (Smt. Dulari Devi W/o Jagatnarayan Mourya) के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा राजस्व अभिलेखों में मेरा यही नाम दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रामदुलारी देवी मौर्या कर ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती रामदुलारी देवी मौर्या ध. प. जगतनारायण मौर्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती दुलारी देवी (Smt. Dulari Devi)
पति जगतनारायण मौर्या (Jagatnarayan Mourya)
निवासी-52/11, नेहरू नगर, पूर्व, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रामदुलारी देवी मौर्या (Smt. Ramdulari Devi Mourya)
पति जगतनारायण मौर्या (Jagatnarayan Mourya)
निवासी-52/11, नेहरू नगर, पूर्व, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लता दुबे पत्नि श्री अशोक कुमार दुबे, आयु 52 वर्ष, निवासी-मकान नं. 457, वार्ड नं. 28, बांसपारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम लता दुबे है किन्तु मेरे पति अशोक कुमार दुबे के पर्सनल फाईल में मेरा नाम लता बाई लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लता दुबे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे लता दुबे पति श्री अशोक कुमार दुबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लता बाई
पिता रामलाल शर्मा
पुराना पता-ग्राम गोढ़ी, मंदिर हसौद,
जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

लता दुबे
पति अशोक कुमार दुबे
निवासी-मकान नं. 457, वार्ड नं. 28,
बांसपारा दुर्ग,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कपिल देव पिता श्री मूलचंद सिंह, निवासी-1411, वार्ड नं. 09, सद्‌भावना चौक के पास, कृपाल नगर, कोहका, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेज में मेरा नाम कपिल देव (Kapil Deo) दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पासबुक में मेरा नाम कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh) दर्ज है जो सही है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कपिल देव सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कपिल देव सिंह पिता श्री मूलचंद सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कपिल देव (Kapil Deo)
पिता श्री मूलचंद सिंह
निवासी-1411, वार्ड नं. 09, सद्‌भावना चौक
कृपाल नगर, कोहका, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh)
पिता श्री मूलचंद सिंह
निवासी-1411, वार्ड नं. 09, सद्‌भावना चौक
कृपाल नगर, कोहका, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रीती मुदलियार ध. प. श्री जय कुमार मुदलियार, उम्र 36 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 07, स्टेशन पारा, पांडूरंग कालोनी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे कुमारी पुष्पा के नाम से जाना जाता था जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 01-02-2004 को श्री जय कुमार मुदलियार आ. श्री कृष्णा मुदलियार निवासी-वार्ड नं. 7, स्टेशन पारा, राजनांदगांव के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रीती मुदलियार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे प्रीती मुदलियार ध. प. जय कुमार मुदलियार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमारी पुष्पा
पिता पद्मनाभम मुदलियार
निवासी- वार्ड नं. 07, स्टेशन पारा,
पांडूरंग कालोनी, राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन 491 441

नया नाम

प्रीती मुदलियार
ध. पं. श्री जय कुमार मुदलियार
निवासी- वार्ड नं. 07, स्टेशन पारा,
पांडूरंग कालोनी, राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन 491 441

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुराधा आ. श्री व्ही. शेष राव, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 21-ए, सड़क-02, सेक्टर 01, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 08-08-2009 को श्री एम. श्रीकान्त राव पिता एम. रामाराव से हुआ था तदोपरान्त मेरा नाम विधि अनुसार श्रीमती एम. अनुराघा पत्नी श्री एम. श्रीकान्त राव हो गया था. चूंकि मैंने मानसिक व शारीरिक क्रुरता के आधार पर श्रीमान द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छ. ग.) से विधिवत दिनांक 27-01-2017 को अपने पति से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली हूं. विवाह विच्छेद के पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अनुराधा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे अनुराधा आ. व्ही. शेष राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती एम. अनुराधा
पति श्री एम. श्रीकान्त राव
निवासी- क्वा. नं. एच./2, सड़क 03,
अपोलो हास्पिटल के सामने,
स्मृतिनगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनुराधा
आ. श्री व्ही. शेष राव
निवासी- -क्वा. नं. 21-ए, सड़क-02,
सेक्टर 01, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डोंगरगढ़ (छ. ग.)

प्रारुप 04

[नियम 5 (1) देखिये]

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 05 (2)

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 की नियम 5 (1) के अंतर्गत

डोंगरगढ़, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक/342/प्र. 01/अ. वि. अ./राजस्व/2017.— चूंकि कि आवेदक आदर्श बौद्ध महासभा, नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई, संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11-05-2017 को विचार हेतु नियत किया गया है, कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास की संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव, दावा या उजर प्रस्तुत करना चाहता हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभावक या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उपरोक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	आदर्श बौद्ध महासभा, नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	चल संपत्ति के रूप में 68333/- रु. (अड़सठ हजार तीन सौ तैंतीस) ऐक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, डोंगरगढ़
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम बधियाटोला प. ह. नं. 170 रकबा 0.040 हे. क्षेत्र सचिव भारतीय बौद्ध महासभा एवं सचिव बौद्ध विहार मंदिर डोंगरगढ़ के नाम पर स्थित है.

सी. एल. मार्कण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक/परिसमापन/2017/1078.— प्रगति महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी, बिलासपुर, पं. क्र. 3905 दिनांक 22-09-1998, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) के प्रबंधक, द्वारा की संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन किया गया है जिसके अनुसार संस्था विगत कई महिनों से बंद है संस्था के सदस्य संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण संस्था परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2381 दिनांक 12-08-2016 के द्वारा संस्था प्रबंधक को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था. संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये प्रगति महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या.सिरगिट्टी, बिलासपुर, पं.क्र. 3905 दिनांक 22-09-1998, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी. के. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक/परिसमापन/2017/1079.— दुग्ध सहकारी समिति मर्या. नगोई, पं. क्र. 3153 दिनांक 26-10-1985, विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) के पूर्व अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद कौशिक, द्वारा की संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन किया गया है जिसके अनुसार संस्था विगत कई वर्षो से बंद है संस्था के सदस्य संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण संस्था परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 655 दिनांक 23-03-2017 के द्वारा पूर्व अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद कौशिक को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था. संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या. नगोई, पं. क्र. 3153 दिनांक 26-10-1985, विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परिसमापन/2017/179.— प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लालपुर पं. क्र. 551 दिनांक 10-03-2003 विकासखण्ड बागबाहरा जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1353 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लालपुर पं. क्र. 551 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परिसमापन/2017/180.— प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चारभाठा पं. क्र. 361 दिनांक 26-06-1996 विकासखण्ड पिथौरा जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1355 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चारभाठा पं. क्र. 361 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री के. एल. चन्द्राकर सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परिसमापन/2017/181.— प्राथमिक हरिजन कामगार फर्शी पत्थर सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 70 दिनांक 22-01-1983 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1359 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक हरिजन कामगार फर्शी पत्थर सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 70 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री एल. के. देवांगन, सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परिसमापन/2017/182.— प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.मालीडीह पं. क्र. 527 दिनांक 27-03-1999 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1347 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.मालीडीह पं. क्र. 527 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म. /परिसमापन/2017/238.— प्राथमिक जय अम्बें खादान कामगार सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पं. क्र. 345 दिनांक 27-04-1991 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1361 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जय अम्बें खादान कामगार सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पं. क्र. 345 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के.देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/ उप. पं. म./परिसमापन/2017/239.— प्राथमिक लक्ष्मी फर्शी पत्थर सहकारी समिति मर्या. बेलसोण्डा पं. क्र. 334 दिनांक 06-12-1984 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1181 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक लक्ष्मी फर्शी पत्थर सहकारी समिति मर्या. बेलसोण्डा पं. क्र. 334 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/उप. पं. म. /परिसमापन/2017/240.— प्राथमिक जय दुर्गा मॉ फर्शी, पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या.मुढ़ेना पं. क्र. 322 दिनांक 17-03-1989 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1357 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक जय दुर्गा मॉ फर्शी, पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या.मुढ़ेना पं. क्र. 322 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/उप. पं. म./परिसमापन/2017/241.— प्राथमिक महिला टाटपट्टी निर्माण सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 588 दिनांक 14-05-2005 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1363 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला टाटपट्टी निर्माण सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 588 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक/उप. पं. म./परिसमापन/2017/242.— प्राथमिक गुरूघासीदास खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पं. क्र. 134 दिनांक 23-12-1987 विकासखण्ड व जिला महासमुन्द, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2016/1358 दिनांक 28-11-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं आर. डी. कुल्हारा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक गुरूघासीदास खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पं. क्र. 134 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. के. देवांगन सहकारी निरीक्षक, महासमुन्द को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

आर. डी. कुल्हारा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.